

सेवा में,

1. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, राजकीय विभाग, बैंक लेखा केंद्रीय कार्यालय, सी-7, द्वितीय मंजिल, बांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी -7, पी बी नं.8143, बांद्रा पूर्वी, मुम्बई-51
2. सभी मुख्य प्रबंध निदेशक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
3. नोडल अधिकारी, आईसीआई/एचडीएफसी/एक्सिस/आईडीबीआई बैंक।
4. सभी प्रबंधक, सीपीसीसी।
5. सैन्य और वायु अटाचे, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल।
6. र.ले.प्र.नि. (पश्चिमी कमांड) चंडीगढ़।
7. र.ले.नि. (पें.संवि.), मेरठ।
8. र.ले.नि. चेन्नई।
9. कोषागार निदेशक, सभी राज्य।
10. वेतन एवं लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशासन, आर.के.पूरम्, तीस हजारी, नई दिल्ली।
11. वेतन एवं लेखा कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार मुम्बई।
12. पोस्ट मास्टर, कठुआ (जम्मू एवं कश्मीर) कैंपबेल वे।
13. प्रधान वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर।

विषय:- रक्षा लेखा कार्मिकों, जिन्होंने सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में आमेलन पर एक मुश्त अदायगी की 33 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 01.01.2006 से संशोधित पेंशन की निकासी की है, की पेंशन पुनः चालू करने के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का परिपत्र सं.568, दिनांक-13.10.2016 एवं 592, दिनांक-05.12.2017

पूर्व सेवा कार्मिक विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त विषय पर दिनांक-20.06.2018 को पत्रांक-1(04)/2007/D (Pen/Pol) द्वारा जारी जो स्वतः व्याख्यात्मक है, आपके सूचना, निर्देश एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है।

2- रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1(02)/2016/D (Pen/Pol), दिनांक-30.09.2016 के शर्तों के अनुसार 2006 के मिलिट्री सेवा पे और एक्स समूह पे पहित पूर्व के सशस्त्र सैन्य पेंशनरों के संशोधित स्केल में मूल वेतन और ग्रेड पे जिसमें पेंशनरों के पेंशन दर में घटोतरी के बिना चाहे वे सेवानिवृत्ति के 33 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही सेवानिवृत्ति/कार्यमुक्ति/अशक्तता घोषित/मृत्यु हो गई हो, का पेंशन क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

3-अब सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 01.01.2006 से आमेलित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पूर्वोक्त श्रेणियों के संशोधित पेंशन के निर्धारण के समय रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 1(02)/2016/D (Pen/Pol), दिनांक-30.09.2016 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उनका पेंशन/पारिवारिक पेंशन भी संशोधित होगा।

- 1- इस आदेश के शर्तों के अनुसार संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सभी प्रभावित मामलों में संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी करके पेंशन का संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में न तो पेंशनरों से और न ही संबंधित पेंशन संवितरण एजेंसियों से प्रार्थना-पत्र की मांग की जाएगी। आगे पेंशन संवितरण एजेंसियों को पेंशन संशोधन में छूटे मामलों को पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के संज्ञान में लाना होगा।
- 2- सभी शर्तें अपरिवर्तनशील रहेगा।
- 3- यह परिपत्र इस कार्यालय के वेबसाइट www.pcdapension.nic.in पर अपलोड कर डिया गया है।

सुशील कुमार सिंह
अपर रक्षा लेखा नियंत्रक (पें.)

सं.Gts/Tech/0148/LVIII
दिनांक-10.07.2018

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग- ए नई दिल्ली
3. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
4. डीपीए वायु भवन नई दिल्ली -11।
5. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी-3, पश्चिमी खण्ड-6 आर के पुरम् , नई दिल्ली 66
6. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा-2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी-10।
7. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई -400039।
8. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ ।
9. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड -5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली -66
10. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई ।
11. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
12. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-10।
13. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
14. समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स।
15. नौसेना पेंशन कार्यालय द्वारा आई.एन.एस., सायन- ट्रॉम्बे रोड, मानखुर्द मुम्बई-400086
16. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी।
17. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रॉच, एम.पी. /एम.पी.8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक , पश्चिमी खण्ड -3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली-66
18. प्रभारी अधिकारी समस्त अभिलेख/ वेतन लेखा कार्यालय ।
19. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक।

20. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी।
21. प्रभारी अधिकारी जी-1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा- अन्य श्रेणी (तक.) व जी-1 सिविल(तक.) ।
22. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
23. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.
24. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर
25. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर
26. मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग।
27. प्रभारी अधिकारी जी-2 अनुभाग
28. प्रभारी अधिकारी जी-3 अनुभाग
29. प्रभारी अधिकारी जी-4 अनुभाग
30. प्रभारी अधिकारी सं.एवं प. अनुभाग
31. प्रभारी अधिकारी शिकायत कक्ष।
32. प्रभारी अधिकारी संगणक केन्द्र को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
33. रक्षा पेंशन लाइज्जत कक्ष।
34. प्रभारी अधिकारी स्वागती कक्ष स्थानीय।
35. निदेशक रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद।
36. अतिरिक्त प्रतियां।

(ए.के.मालवीय)
वरि.लेखाधिकारी (पेंशन)